न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 73/2020 बउनवानी संतोष कुमार अग्रवाल बनाम लोक.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर निवासी बांकी माता मंदिर के पीछे शहर सवाईमाधोपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.11.2020	दिनांक 17.11.2020 को अवकाश घोषित होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई है। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 14.09.20 को सहायक लोक सूचना अधिकारी उपजिला कले. वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. वजीरपुर तहसील परिसर मे बिजली का बिल दिनांक 1.1.2019 से 1.9.2020 तक व जमा बिजली के बिल की रसीद प्रत्येक महीने की प्रमाणित प्रतिलिपि देनें की कृपा करे। 2. वजीरपुर तहसील परिसर मे रात के समय कौन–कौन अधिकारी रूकते है उनके नाम व मोबाईल नम्बर की प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करे। 3. वजीरपुर तहसील परिसर मे अधिकारियों को रहने के लिए क्वाटर बने हुए है व उस क्वाटर मे कौन–कौन अधिकारी रहते है उनके नाम व मोबाईल नम्बर की प्रमाणित प्रति। 4. वजीरपुर तहसील परिसर मे तहसीलदार महेन्द्र मीना रात्रि के समय कब से रह रहे है। 5. वजीरपुर तहसील श्रीमान तहसीलदार महेन्द्र मीना जी ने मकान किराया सरकार से कितना उठाया उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि देने की कृपा करे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2020/1226 दिनांक 09.11.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2020 के बिन्दु संख्या 1 व 2 में चाही गयी सूचना तहसीलदार वजीरपुर से संबंधित होने के कारण उपजिला कलेक्टर के पत्रांक आरटीआई/2020/1445 दिनांक 25.09.2020 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3)के तहत अन्तरित किया गया। जिसके कम में तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक 51 दिनांक 16.10.2020 द्वारा अपीलान्ट द्वारा चाही गयी बिन्दु संख्या 1 की सूचना 26/–रू जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु तथा बिन्दु संख्या 4, 5 की सूचना के कम में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 2 लगायत 3 की सूचना प्रश्नात्मक होने एवं रिकार्ड पर सृजित नही होने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 14.09.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना के लिए तहसीलदार वजीरपुर द्वारा 26/–रू जमा करवाने हेतु अपीलान्ट को लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा अभी तक वांछित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त नही की गयी है इसी प्रकार बिन्दु संख्या 4, 5 की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। तथा शेष बिन्दु सख्या 2 लगायत 3 पर चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने एवं कार्यालय रिकार्ड पर संघारित नही होने के कारण दिया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना वांछित शुल्क राशि तहसीलदार वजीरपुर के कार्यालय मे जमा करवाकर प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (नन्नू मल पहाड़िया) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nannu Mal Pahadia
Date: 2020.12.24 16:22:13 IST
Reason: SelfAttested